

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016

सं0 19/2016-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.)

सा0का0नि0.....(अ).- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 9 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं0 36/2001-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 26 जून, 2001 जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड (3) उपखंड (i) में, सा.का.नि. सं. 465(अ), तारीख 26 जून, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, शर्त (3) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात्:-

"(3) घोषित करता है यदि उसी कारखाने के दो या अधिक परिसर रेंज अधीक्षक अधिकारिता में निकट क्षेत्र के भीतर स्थित हैं, उसमें की जाने वाली विनिर्माण प्रक्रिया परस्पर जुड़ी हैं और इकाईयां किसी क्षेत्र आधारित छूट अधिसूचनाओं के भिन्न प्रचालित नहीं हैं तो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त, एक परिसर से दूसरे परिसर को माल के संचरण के उचित लेखा और ऐसी अन्य शर्तें और परिसिमाएं जो वह अधिरोपित करे, के अधीन एकल रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञात कर सकेगा।";

[फा.सं0 334/8/2016-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

**टिप्पण :** मूल नियम, अधिसूचना सं. 36/2001-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 26 जून, 2001 द्वारा सा.का.नि. 465(अ), तारीख 26 जून, 2001 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. 09/2013-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 23 मई, 2013 सा.का.नि. 337(अ), तारीख 23 मई, 2013 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम संशोधन किया गया था।